हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2016

संख्या : 2/2/2013–4एफ. आर./1571.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देने सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे ।

2. ये नियम, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, हरियाणा राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों सहित वर्ग 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी कर्मचारियों तथा कोई अन्य सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी जिसे सक्षम प्राधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन्हें लागू करें, को लागू होंगे। लागूकरण का विस्तार।

टिप्पण 1.— अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले को लागू होंगे।

टिप्पण 2.— अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

टिप्पण 3.— यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

3. जब सक्षम अधिकारी की राय में, इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध किसी विशेष पद या सेवा की किन्हीं शर्तों के सन्दर्भ में अपेक्षित हों, कि प्राधिकारी, इन नियमों में दी गई किसी बात से अन्यथा होते हुए भी, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी मामले हेतु, जिसके संबंध में उस प्राधिकारी की राय में विशेष उपबन्ध किए जाने अपेक्षित हैं, ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उपबन्धित कर सकता है: इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हो।

परन्तु नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में यह स्पष्ट किया जाएगा कि किसी मामले के संबंध में जहां नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के विशेष उपबन्ध नहीं बनाए गए हैं तो इन नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

4. (1) सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ते का दावा, यात्रा करने के समय लागू नियमों द्वारा विनियमित होगा जिसके सम्बन्ध में ये बनाए गए हैं या वचनबद्धता दी गई है । यात्रा भत्ते के दावे का विनियमन।

(2) सरकारी कर्मचारी जिसे भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत या प्रत्यावर्तित किया जाता हैं या वेतन की बढ़ी हुई दर प्रदान की जाती है उसके यात्रा भत्ते को पुनरिक्षित नहीं किया जाएगा ।

5. इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट तथा संदेह दूर करने की शक्ति, वित्त विभाग में निहित होगी। निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।

टिप्पण 1.— इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के संबंध में संसूचनाएं सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सम्बोधित की जाएंगी।

टिप्पण 2.— जहां वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले इन नियमों का कोई लागूकरण किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्टकारक है, तो यह ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्ययीन, जैसे यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के संबंध में कार्रवाई करना आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से आदेश द्वारा अभिमुक्त कर सकता है या छूट दे सकता है।

शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन।

6. इन नियमों के किसी प्रयोजन के लिए सक्षम प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी, उनकी अपनी जिम्मेवारी पर तथा ऐसे प्रतिबन्धो के अध्यधीन, जो वे अधिरोपित करना पसन्द करें, उनके अपने मुख्यालय के अधीन कार्यरत अधिकारियों को शक्तियां पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं तथा यात्रा भत्ते बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए नियंत्रक अधिकारी घोषित कर सकते हैं । ऐसे सभी आदेशों की प्रतियां सदैव वित्त विभाग तथा प्रधान महालेखकार, हरियाणा को भेजी जाएंगी।

निरसन।

7. इन नियमों के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व लागू पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द III, में दिए गए यात्रा भत्ता नियम निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्सम उपपन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

अध्याय–II
परिभाषाएं

8. (क) जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; परिभाषाएं।

(1) **''वास्तविक यात्रा खर्च''** से अभिप्राय है, लोक हित में की गई यात्रा की वास्तविक लागत तथा इसमें भुगतान किए गए कर, फैरी तथा टोल प्रभार, यदि कोई हो, भी शामिल हैं;

(2) **''समेकित स्थानांतरण अनुदान''** से अभिप्राय है, स्थानांतरण यात्रा भत्ते के बदले में किसी सरकारी कर्मचारी को भुगतानयोग्य एकमुश्त राशि;

(3) **''नियंत्रक अधिकारी''** से अभिप्राय है, विभागाध्यक्ष या कोई अन्य विभागीय अधिकारी जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत खर्चों तथा/अथवा राजस्व संग्रहण के नियंत्रण की जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं;

टिप्पण.– प्रशासकीय सचिव किसी राजपत्रित अधिकारी को यात्रा भत्ते के प्रयोजन हेतु नियंत्रक अधिकारी घोषित कर सकता है जो उससे ठीक अधीनस्थ हो तथा उसके अपने कार्यालय में कार्यरत हो;

(4) **''दैनिक भत्ता''** से अभिप्राय है, मुख्यालय से बाहर व्यतीत किए गए प्रत्येक दिन या दिन के किसी भाग के लिए कोई भत्ता, जो ऐसी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी द्वारा उपगत साधारण दैनिक प्रभारों को पूरा करने के लिए आशयित हैं;

टिप्पण.– जहां दो स्थानों (बस स्टैंड से बस स्टैंड तक) के बीच की दूरी संक्षिप्त मार्ग से बीस किलोमीटर से कम है, तो ऐसे मामले में, कोई भी दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा;

(5) **''ड्यूटी स्थल''** से अभिप्राय है, कार्यालय का स्थान जहां कर्मचारी ड्यूटी पर है। बाहरी तथा आन्तरिक दोनों यात्राओं के लिए प्रस्थान की दशा में, यह यात्रा कार्यालय स्थान, आवास, ठहराव या कार्य स्थल, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है;

(6) यात्रा भत्ते के लिए ग्रेडिंग के प्रयोजन के लिए **''परिलाभ''** से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन या ग्रेड वेतन जिसमें वह उस दिन वेतन ले रहा है जब लोकहित में दौरे के लिए यात्रा की जाती है;

(7) **''अपना वाहन''** से अभिप्राय है, सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के नाम से या केवल उसके पति/उसकी पत्नी के नाम से पंजीकृत वैयक्तिक वाहन;

(8) **''सार्वजनिक वाहन''** से अभिप्राय है, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, नदी स्टीमर या कोई अन्य सार्वजनिक वाहन जो यात्रियों के वाहन हेतु नियमित रूप से चलाया जाता है तथा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन तथा किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी संगठनों द्वारा भी चलाया जाता हो;

टिप्पण.– इसमें वाहन का कोई "चार्टड" साधन शामिल नहीं है;

(9) **''लघुत्तम मार्ग''** से अभिप्राय है, वह मार्ग जिसके द्वारा यात्री यात्रा के सामान्य साधन से अपने गन्तव्य पर सबसे जल्दी पहुंच सकता है। यदि यात्रा हरियाणा के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है, तो लघुत्तम मार्ग बस स्टैण्ड से बस स्टैण्ड तक तथा हरियाणा के बाहर लघुत्तम मार्ग रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक इन नियमों के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा;

टिप्पण– संदेह की दशा में, विभागाध्यक्ष विनिश्चित करेगा किस मार्ग को दो या अधिक मार्गों में से लघुत्तम के रूप में समझा जाएगा;

(10) **"दौरा"** सरकारी कर्मचारी दौरे पर माना जाएगा जब वह प्राधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष से नीचे का न हो, की समुचित स्वीकृति से, लोकहित में या तो अपनी ड्यूटी के क्षेत्र के भीतर या बाहर अपने मुख्यालय से दूर रहता है। संदेह की दशा में, नियंत्रक अधिकारी विनिश्चत करेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी मुख्यालय से विशेष अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दौरे पर माना जाएगा या नहीं;

(11) **"स्थानान्तरण यात्रा भत्ता"** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को लोक हित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके स्थानांतरण, जिसमें निवास का परिवर्तन भी शामिल है, पर अनुज्ञेय समेकित स्थानांतरण अनुदान;

(12) **"यात्रा भत्ता"** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को लोक हित में दौरे के दौरान उस द्वारा उपगत खर्च को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय भत्ता। इसमें दैनिक भत्ता, सड़क दूरी भत्ता, स्थानीय दूरी भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता शामिल है, उसमें वास्तविक यात्रा खर्चे तथा हकदारी के लिए सीमित होटल प्रभार की प्रतिपूर्ति भी शामिल है;

(ख) इस अध्याय में नहीं परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित किए गए शब्दों का अर्थ इन नियमों के लिए वही होगा ।

अध्याय–III

सामान्य

9. यात्रा भत्ते की निम्नलिखित विभिन्न किस्में है, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात्:– यात्रा भत्ते की विभिन्न किस्म।

(क) यात्रा की वास्तविक लागत

(ख) दैनिक भत्ता

(ग) होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति

(घ) सड़क दूरी–भत्ता

(ड) स्थानीय दूरी–भत्ता

(च) समेकित अन्तरण अनुदान

10. यात्रा भत्ते के हकदारी तथा संगणना करने के प्रयोजन के लिए ग्रेड वेतन पर आधारित श्रेणीकरण पद्धति निम्नानुसार हैः– सरकारी कर्मचारियो का श्रेणीकरण।

ग्रेड–I	10,000/– रुपये या अधिक का ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी तथा वे कर्मचारी जो उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + या अधिक वेतनमान में हैं तथा जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश।
ग्रेड–II	8,900 से 9,800 रुपये का ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी तथा वरिष्ठ मण्डल के न्यायधीश।
ग्रेड–III	4600 से 8800 रुपये का ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी तथा कनिष्ठमण्डल के न्यायाधीश।
ग्रेड–IV	2500 से 4200 रुपये का ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।
ग्रेड–V	1300 से 2400 रुपये का ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।

टिप्पण 1.– दैनिक मजदूरी, अंश–कालिक, संविदा आधार पर, वर्क चार्ज कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित व्यक्ति या अन्यथा कार्यरत किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के यात्रा भत्ते जो किसी वेतनमान में वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे हरियाणा सरकार में उसी पद के लिए स्वीकृत न्यूनतम वृतिमूलक वेतनमान के आधार पर इन नियमों के अधीन नियन्त्रित होंगे।

टिप्पण 2.–संदेह के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

टिप्पण 3.– सरकारी कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर पारगमन के दौरान ऐसे ग्रेड की श्रेणी में होगा जिसमे दो पदों का निम्नतम उसको हकदार बनाता है।

11. अवकाश पर या निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ते, अवकाश पर जाने या निलम्बन से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, उस द्वारा प्राप्त परिलाभ द्वारा विनियमित होंगे। अवकाश के समय या निलम्बन के अधीन यात्रा भत्ते की हकदारी।

12. निम्नलिखित प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिए, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं है, लोक सेवा के हित में यात्रा करने के लिए उसके अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी को निर्देश देने के लिए सक्षम होंगेः– दौरे के लिए सक्षम प्राधिकारी।

कार्यालयाध्यक्ष	हरियाणा, चण्डीगढ तथा दिल्ली के भीतर
विभागाध्यक्ष	भारत मे कहीं भी
प्रशासकीय सचिव	भारत के भीतर तथा भारत से बाहर

13. (1) स्थानान्तरण पर यात्रा, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के वास्तविक निवास स्थान से शुरू या पर समाप्त की जाती है। यात्रा की शुरूआत तथा समाप्ति।

(2) कोई अन्य यात्रा ड्यूटी स्थल या निवास स्थान, जैसी भी स्थिति हो, से शुरू या पर समाप्त की जाती है।

(3) जहां यात्रा ऐसे स्टेशन से शुरू/पर समाप्त की जाती है जो न तो सरकारी कर्मचारी का मुख्यालय है तथा न ही उसकी ड्यूटी का स्थान है, तो उसे उसके निवास स्थान से प्रारम्भ/पर समाप्त की गई समझी जाएगी। ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता दावा, दावे के लिए इस प्रकार प्रतिबन्धित किया जाएगा कि यात्रा उसके निवास स्थान से की गई हो।

यात्रा भत्ते का मिथ्या दावा/प्राप्ति।

14. मिथ्या या फर्जी यात्रा भत्ते का दावा करने वाला/प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा परिभाषित कोई एक बड़ा दण्ड दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रवर्ग के यात्रा भत्ते के दावे, मिथ्या दावे/प्राप्ति के होंगे:––

(क) यात्रा के लिए, जो वास्तव में नहीं की गई है।

(ख) हकदारी के अनुसार उच्च श्रेणी की यात्रा जबकि वास्तव में यात्रा निम्न श्रेणी में की गई है।

(ग) मिथ्या प्रमाण–पत्र/टिकट प्रस्तुत करते हुए।

(घ) सड़क दूरी भत्ता तथा/या टोल प्रभारों के लिए जबकि यात्रा वास्तव में अपने वाहन या टैक्सी/आटो–रिक्शा द्वारा नहीं की गई है।

अध्याय–IV

यात्रा के विभिन्न साधन तथा हकदारी

15. (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुकूलन जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन हकदार है, के साधन तथा श्रेणी द्वारा यात्रा करना अपेक्षित है। हकदारी के समायोजन की श्रेणी या से ऊपर की श्रेणी द्वारा यात्रा।

(2) सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक वाहन के किसी साधन द्वारा या उससे सम्बन्धी हकदारी से ऊपर किसी श्रेणी में यात्रा करने में भी रूकावट नहीं होगी बशर्ते कि प्रतिपूर्ति के लिए दायर किया गया दावा हकदारी तक सीमित होगा। तथापि, ऐसे सभी मामलों में, प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेजों तथा अपेक्षित अनिवार्य शर्तों को यात्रा करने के सन्दर्भ में पूरा किया जाएगा। ऐसे मामलों में, हकदारी से ऊपर यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की पूर्वापेक्षा नहीं होगी।

टिप्पण 1.– यदि यात्रा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने वाहन द्वारा की गई है, तो यह उपबन्ध लागू नहीं होगा।

टिप्पण 2.– यदि यात्रा, हकदारी से नीचे की किसी श्रेणी या साधन द्वारा की गई है तो निचली श्रेणी का वास्तविक किराया या वास्तव में प्रयुक्त किए गए निचले साधन का सड़क दूरी–भत्ता अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 3.– सरकारी कर्मचारी ने हकदारी के अनुसार अपने वाहन द्वारा या हकदारी से नीचे के वाहन द्वारा यात्रा की है, तो वह वास्तव में प्रयुक्त वाहन या हकदारी, जो भी कम हो, के लिए सड़क दूरी–भत्ते का हकदार होगा।

टिप्पण 4.– प्रशासकीय विभाग, सरकारी कर्मचारी को उसकी हकदारी की यात्रा से उच्चतर श्रेणी में विशेष यात्रा करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

16. जब दौरे पर यात्रा सार्वजनिक वाहन द्वारा की गई है, तो हकदार श्रेणी/साधन या श्रेणी/साधन जिस द्वारा वास्तव में यात्रा की गई है, जो भी कम हो, का वास्तविक किराया प्रतिपूर्ति योग्य होगा। यात्रा की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

टिप्पण.– यदि सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक वाहन द्वारा यात्रा के लिए मुफ्त पास उपलब्ध कराया गया है तो यात्रा का किराया प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा।

17. बस द्वारा यात्रा के लिए श्रेणी की हकदारी निम्नानुसार होगीः– बस द्वारा यात्रा की हकदारी।

ग्रेड	बस द्वारा यात्रा
ग्रेड–I तथा II	वातानुकूलित बस जिसमें हरियाणा परिवहन की वाल्वो शामिल है।
ग्रेड–III	ऐसी बस जिसमें हरियाणा परिवहन की वाल्वो या डिलक्स बस शामिल हैं
ग्रेड–IV	डिलक्स बस/साधारण बस
ग्रेड–V	साधारण बस

18. रेल द्वारा यात्रा के लिए श्रेणी कि हकदारी नीचे दिए गए अनुसार होगीः– रेल द्वारा यात्रा की हकदारी।

ग्रेड	रेल द्वारा यात्रा
ग्रेड–I तथा II	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या कार्यकारी श्रेणी
ग्रेड–III	वातानुकूलित II टियर या वातानुकूलित चेयर कार
ग्रेड–IV	वातानुकूलित III टियर या गैर– वातानुकूलित चेयर कार
ग्रेड–V	द्वितीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी स्लीपर

टिप्पण.–रेल द्वारा यात्रा जिसमें राजधानी एक्सप्रैस, शताब्दी एक्सप्रैस तथा अन्य ऐसी रेलगाड़ियां शामिल हैं।

19. समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा की हकदारी के अनुकूलन की हकदारी नीचे दिए गए अनुसार होगीः– समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा की हकदारी।

ग्रेड	समुद्र या नदी द्वारा यात्रा
ग्रेड–I तथा II	उच्चतर श्रेणी
ग्रेड–III तथा IV	यदि यहां:– 2 श्रेणियां तो निचली श्रेणी द्वारा 3 श्रेणियां तो मध्यम श्रेणी द्वारा 4 श्रेणियां तो तीसरी श्रेणी द्वारा
ग्रेड–V	निम्नतम श्रेणी द्वारा

टिप्पण.– ऐसे मामलों में, जहां स्टीमर कम्पनी के किराये की दो दरें, एक भोजन को मिलाकर तथा दूसरी भोजन के बिना है, तो उपरोक्त नियम में किराया शब्द का अर्थ भोजन के बिना किराये वाला होगा।

हवाई जहाज द्वारा यात्रा की हकदारी।

20. हवाई जहाज द्वारा हकदारी तथा इसके अनुकूलन की श्रेणी नीचे दिए गए अनुसार होगी:–

ग्रेड	हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए अनुकूलन की हकदारी
ग्रेड I:–	
(i) मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव	(i) भारत के भीतर व्यवसायिक श्रेणी तथा भारत के बाहर प्रथम श्रेणी
(ii) उच्चतर प्रशासकीय ग्रेड (एच.ए.जी.) वेतनमान में अधिकारी	(ii) भारत के भीतर व्यवसायिक श्रेणी तथा भारत के बाहर प्रथम श्रेणी
(iii) 10,000/–रुपये के ग्रेड वेतन में अधिकारी	(iii) भारत के भीतर किफायती श्रेणी तथा भारत के बाहर प्रीमियम किफायती श्रेणी
ग्रेड–II	किफायती श्रेणी (भारत के भीतर या बाहर)
ग्रेड–III	(i) 8700/8800 रुपये के ग्रेड वेतन के अधिकारी भारत के भीतर या भारत के बाहर दौरे के समय किफायती श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकते हैं। (ii) 4600 से 8600 रुपये के ग्रेड वेतन के अधिकारी भारत के भीतर या भारत के बाहर दौरे के समय किफायती श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर सकते हैं, जहां यात्रा 500 किलोमीटर से अधिक है जो रेलगाड़ी द्वारा रात को पूरी नहीं की जा सकती, बशर्ते सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव का पूर्व अनुमोदन सदैव प्राप्त किया जाना है। (iii) विभागाध्यक्ष तथा विशेष सचिव, हरियाणा सरकार को हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए प्रशासकीय सचिव का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है तथा 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा की शर्त भी उन पर लागू नहीं होगी।
ग्रेड–IV	किफायती श्रेणी (केवल भारत से बाहर)
ग्रेड–V	किफायती श्रेणी (केवल भारत से बाहर)

अपवादिक परिस्थितियो मे हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए अनुमति।

21. अपवादिक मामलो में, प्रशासकीय विभाग (वित्त विभाग के परामर्श से) लोकहित में हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को अनुमति दे सकता है।

22. सभी सम्बन्धित अधिकारी हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए एयर इंडिया को अधिमान देंगे। एयर इंडिया से भिन्न हवाई कम्पनी का चयन करने के लिए मापदण्ड बेहतर तथा अन्य हवाई कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित अधिक प्रतियोगी व कम कीमत का किराया होगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में, किराया एयर इंडिया या उसकी सहायक कम्पनी द्वारा प्रस्तावित हकदार श्रेणी के साधारण किराये से अधिक नहीं होगा। हवाई कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमों तथा रियायती किरायों का भी पूर्ण रूप से प्रयोग करना होगा। सरकारी कर्मचारी संभव सीमा तक अग्रिम बुकिंग कराने की कोशिश करेगा। हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए हवाई कम्पनी का चयन।

टिप्पण.– यदि उपलब्ध हो तो रियायती दरों पर वापसी टिकट हमेशा खरीदेगा जब सरकारी कर्मचारी, अवधि जिसके दौरान यह उपलब्ध है, के भीतर हवाई जहाज द्वारा वापसी यात्रा करने की अपेक्षा करता है।

23. लोकहित में दौरे या स्थानान्तरण के समय सार्वजनिक वाहन द्वारा किसी भी कारण से यात्रा के रद्द करने के मामले में निम्नलिखित प्रभार प्रतिपूर्तियोग्य होंगेः– आरक्षण तथा रद्दकरण प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

(क) आरक्षण तथा स्लीपर प्रभारों की वास्तविक लागत;

(ख) तत्काल सेवा प्रभार;

(ग) इन्टरनैट/ई–टिकटिंग के माध्यम से टिकटों की बुकिंग के प्रभार;

(घ) कार्यालय कारणों या अपरिहार्य परिस्थितियों में रद्द की गई यात्रा के लिए प्रभार।

टिप्पण 1.– अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाए, उपरोक्त प्रभारों की कोई भी वापसी अनुज्ञेय नहीं की जाएगी यदि यात्रा सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर रद्द की गई है।

टिप्पण 2.– "अभिकरण प्रभारों" की कोई भी वापसी उस सरकारी कर्मचारी को नहीं की जाएगी जो अपनी स्वयं की सुविधा के लिए "यात्रा अभिकर्ता" के माध्यम से अपनी यात्रा बुक कराता है।

24. (1) जब यात्रा हवाई जहाज, नदी स्टीमर, वातानुकूलित रेल/बस या डिलक्स बस द्वारा की जाती है, तो हवाई जहाज द्वारा यात्रा के मामले में टिकट तथा बोर्डिंग पास, मूल रूप में दावे के साथ संलग्न किया जाएगा, अन्यथा साधारण किराया अनुज्ञेय होगा। दावे के लिए संलग्न की जाने वाली टिकटें।

(2) आरक्षण तथा स्लीपर प्रभारों की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति पूर्णरूप में की जाएगी।

टिप्पण.– यदि यात्रा की टिकट गुम हो गई है, तो विशिष्ट परिस्थितियों में हकदारी साधन की यात्रा की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषणा के अध्यधीन गैर–राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को विभागाध्यक्ष द्वारा तथा राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को प्रशासकीय सचिव द्वारा अनुज्ञात की जा सकती है।

25. ड्यूटी पर यात्रा करने वाला सरकारी कर्मचारी वास्तविक राशि की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा जो उसने नौका तथा सार्वजनिक वाहन द्वारा यात्रा के लिए कार्यालय वस्तुओं के लिए अन्य टोल तथा किरायों के भुगतान के लिए खर्च किए हैं। नौका या सार्वजनिक वाहन के टोल प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

26. (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, अपने वाहन/टैक्सी/आटो रिक्शा द्वारा यात्रा तथा अनुज्ञेय सड़क दूरी भत्ते की दर की हकदारी नीचे दिए अनुसार हैः– अपने वाहन या टैक्सी द्वारा यात्रा की हकदारी तथा सडक दूरी–भाड़ा भत्ते की दर।

ग्रेड	टैक्सी/आटो– रिक्शा द्वारा यात्रा	अपने वाहन द्वारा यात्रा	सड़क दूरी–भाड़ा भत्ते की दर
I तथा II	वातानुकुलित टैक्सी	अपनी कार द्वारा	10/– रुपये प्रतिकिलोमीटर (अपनी कार/वातानुकुलित टैक्सी के लिए)
III	टैक्सी (प्रत्येक यात्रा के लिए कार्यालय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से)	अपनी कार द्वारा (प्रत्येक यात्रा के लिए कार्यालय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से)	8/– रुपये प्रतिकिलोमीटर
IV तथा V	आटो–रिक्शा द्वारा, (प्रत्येक यात्रा के लिए कार्यालय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से)	अपने स्कूटर/मोटर साईकिल द्वारा (प्रत्येक यात्रा के लिए कार्यालय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से)	6/– रुपये प्रतिकिलोमीटर

(2) सक्षम प्रधिकारी, अभिलिखित किए गए विशेष कारणों से, लघुत्तम से भिन्न मार्ग पर संगणित किए गए सड़क दूरी–भत्ते की अनुमति दे सकता है, बशर्ते यात्रा वास्तव में उस मार्ग द्वारा की गई हो।

(3) हकदारी के नीचे के वाहन द्वारा यात्रा करने वाला सरकारी कर्मचारी वास्तव में प्रयुक्त वाहन या हकदारी जो भी कम हो, के लिए सड़क दूरी–भत्ते का हकदार होगा।

टिप्पण.–1 जब यात्रा अपने वाहन द्वारा की जाती है, तो प्रयुक्त वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या प्रस्तुत दावे में सदैव वर्णित की जाएगी।

टिप्पण.– 2 यदि कोई कर्मचारी किसी मार्ग द्वारा यात्रा करता है जो लघुत्तम नहीं है, किन्तु लघुत्तम से सस्ता है, तो उसका सड़क दूरी–भत्ता वास्तव में प्रयुक्त मार्ग पर संगणित किया जाएगा।

अपने वाहन द्वारा यात्रा के मामले में टोल प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

27. जहां यात्रा अपने वाहन या टैक्सी द्वारा की गई है, तो राज्य के भीतर या बाहर यात्रा के दौरान भुगतान किए गए सभी 'टोल प्रभार' भी मूल रसीद की प्रस्तुति पर सड़क दूरी–भत्ते के अतिरिक्त अनुज्ञेय होंगे।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें से एक के वाहन में यात्रा।

28. जब दो या दो से अधिक सरकारी कर्मचारी उनमें से किसी एक से सम्बन्धित मोटर वाहन में यात्रा करते हैं, तो वाहन का स्वामी सड़क दूरी–भत्ता प्राप्त करेगा, मानो उसने अकेले यात्रा की थी परन्तु उनमें से एक कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से या बिना अनुमति के अपने वाहन द्वारा यात्रा के लिए हकदार होगा, तथा दूसरे सरकारी कर्मचारी (कर्मचारियों) को मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने वाला समझा जाएगा तथा उसे (उन्हें) कोई भी सड़क दूरी–भत्ता भुगतानयोग्य नहीं होगा किन्तु इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार केवल दैनिक भत्ता उनको अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 1.– यात्रा के दिन के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता वाहन के स्वामी से भिन्न सह–यात्री (यात्रियों) को अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 2.– सरकारी कर्मचारी, वाहन जिसमें यात्रा की गई थी, की रजिस्ट्रेशन संख्या यात्रा भत्ता दावे में प्रमाणित करेगा।

दौरे के समय स्थानीय यात्रा।

29. राज्य के भीतर या राज्य के बाहर दौरे पर की गई स्थानीय यात्रा के लिए स्थानीय दूरी–भत्ता प्रति शहर 50 किलोमीटर प्रति भ्रमण तक अनुज्ञेय होगा। स्थानीय दूरी–भत्ता विहित सीमा तक या यात्रा की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, सड़क भत्ता की दर से अनुज्ञेय होगा। दौरे पर स्थानीय यात्रा का अर्थ है मुख्यालय पर स्थित कार्यालय/निवास स्थान तथा बस अड्डे/रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे के बीच यात्रा तथा बस अड्डे/रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे तथा ड्यूटी/निवासस्थान के बीच ड्यूटी स्टेशन पर भी है।

अपवाद.– पचास किलोमीटर की सीमा 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार पचास लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर में दौरे के मामलें में लागू नहीं होगी।

टिप्पण 1.– स्थानीय दूरी–भत्ता सम्पूरित किलोमीटर में संगणित किया जाएगा।

टिप्पण 2.– हकदारी तक सीमित यात्रा की वास्तविक लागत लोकहित में स्थानीय यात्रा भ्रमण के स्थान वर्णित करते हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर, दौरे पर की गई स्थानीय यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

टिप्पण 3.– कोई सरकारी कर्मचारी जो पैदल या साईकिल द्वारा यात्रा पूरी करता है, तो चार रुपये प्रति किलोमीटर की दर से स्थानीय दूरी–भत्ते का हकदार होगा।

मुख्यालयों के 20 किलोमीटर के घेरे के भीतर यात्रा।

30. कार्यालयाध्यक्ष मुख्यालयों के बीस किलोमीटर के घेरे के भीतर एक या से अधिक स्टेशनों पर लोकहित में की गई यात्रा के लिए इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय दर पर एक दिन में पच्चीस किलोमीटर तक सीमित स्थानीय दूरी–भत्ता से अनधिक यात्रा की वास्तविक लागत प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को अनुमति दे सकता है। अपवादिक परिस्थितियों में कार्यालयाध्यक्ष विशेष रूप से कारण अभिलिखित करते हुए पच्चीस किलोमीटर की सीमा में ढील दे सकता है।

****

अध्याय–V

दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति

31. दैनिक भत्ता, जहां अनुज्ञेय हो, निम्नलिखित दर पर होगाः– हरियाणा के भीतर तथा बाहर दैनिक भत्ते की दर (दरें)।

ग्रेड	चण्डीगढ़ सहित हरियाणा में किसी नगर/शहर में	हरियाणा/चण्डीगढ़ से बाहर किसी नगर/शहर में
ग्रेड–I	500/– रुपये प्रति दिन	600/– रुपये प्रति दिन
ग्रेड–II	400/– रुपये प्रति दिन	500/– रुपये प्रति दिन
ग्रेड–III	300/– रुपये प्रति दिन	400/– रुपये प्रति दिन
ग्रेड–IV	250/– रुपये प्रति दिन	300/– रुपये प्रति दिन
ग्रेड–V	200/– रुपये प्रति दिन	250/– रुपये प्रति दिन

32. किसी सरकारी कर्मचारी को दैनिक भत्ते की हकदारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन विनियमित होगी : दैनिक भत्ते की प्राप्ति के लिए शर्तें।

1. दैनिक भत्ता, लोकहित में दौरे के दौरान ठहरने के दिन (दिनों) तथा आने वाली छुट्टी (छुट्टियों) सहित, बीस किलोमीटर के घेरे से बाहर मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
2. सरकारी कर्मचारी जो दौरे के समय लघु आकस्मिक अवकाश या प्रतिबन्धित अवकाश लेता है, तो वह उस दिन के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
3. दैनिक भत्ता रविवार या राजपत्रित अवकाश (अवकाशों) के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा यदि सरकारी कर्मचारी वास्तव में दौरा स्टेशन पर नहीं है।
4. दौरा तथा दैनिक भत्ता एक मास में दस दिन तक प्रतिबन्धित होगा जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में बढ़ाया नहीं जाता है।

टिप्पण.– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा प्रशासकीय सचिव क्रमशः एक मास में पन्द्रह दिन तथा पन्द्रह दिन से अधिक सरकारी कर्मचारी को दैनिक भत्ता अनुज्ञात कर सकता है, बशर्ते कि दौरा प्रशासकीय रूप में न्यायसंगत हो।

5. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी विशेष स्थान पर दस दिन की अवधि के सत्‌त ठहराव के बाद, ठहराव स्थान को दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी के अस्थाई मुख्यालय के रूप में माना जाएगा।
6. यदि किसी दिन को दो अलग–अलग यात्रा की गई है, तो एक दैनिक भत्ता दोनों यात्राओं के सम्बन्ध में अनुज्ञेय होगा।
7. यदि दौरे पर कोई कर्मचारी किसी प्राधिकारी या अभिकरण से यात्रा भत्ते के बदले में कोई फीस/पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वह इस प्रकार प्राप्त सम्पूर्ण राशि को राज्य राजकोष में जमा कराने के अध्यधीन साधारण नियमों के अधीन या तो राशि रखने या यात्रा भत्ता प्राप्त करना चुन सकता है।

33. (1) एक मास में दस दिन से अधिक दौरे पर रहने के लिए तथा उस के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मामलो में कोई रोक नहीं होगीः– एक मास में दस दिन से अधिक दैनिक भत्ता की प्राप्ति।

(i) भारत में कहीं भी निर्वाचन ड्यूटी;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष के आदेश के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण;

(iii) सरकारी मामलों के सम्बन्ध में न्यायालय (न्यायालयों) में हाजिर होने;

(iv) मन्त्रियों तथा अधिकारियों का निजी अमला, जो वास्तव में दौरे पर उनके साथ रहता है; तथा

(v) कार/जीप चालक।

(2) निम्नलिखित एक मास में दस दिन से अधिक के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैः–

(i) हरियाणा में उपायुक्त एक मास में पन्द्रह दिन तक दौरा कर सकता है;

(ii) पंचायती राज विभाग सहित लोक निर्माण विभाग के तीनों विंगों के कनिष्ठ अभियन्ता एक मास में बीस दिन तक।

(iii) थानों में, तैनात पुलिस कार्मिक एक मास में बीस दिन तक।

शहर के सन्दर्भ में दैनिक भत्ता जहां रात व्यतीत होती है।

34. शहर के सन्दर्भ में, जहां सरकारी कर्मचारी ने दौरे के समय यात्रा की उतरवर्ती रात (रातें) व्यतीत होती हैं, दैनिक भत्ते की दर अवधारित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी जो किसी दिन का एक भाग एक शहर में तथा उसका दूसरा भाग दूसरे शहर में गुजारता है, तो वह शहर जहां वह ऐसे उतरवर्ती दिन की रात व्यतीत होती है, की दर पर दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

अपवाद.— दिल्ली के निकट अर्थात् गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत दौरे के समय दिल्ली में रात के ठहराव के मामले में, अधिकारी तथा उसके साथ अमला दिल्ली की दर पर दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। तथापि, यदि रात (रातें) दूर दराज स्थानों (फार फलंग) पर दौरे के समय मार्ग में व्यतीत होती है, उसे दैनिक भत्ता शहर के संदर्भ में जहां रात व्यतीत हुई है, की साधारण दर पर भुगतानयोग्य होगा।

टिप्पण.— जहां रात रेलगाड़ी में गुजारी है, तो दैनिक भत्ता गन्तव्य स्थान के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा।

बाध्य ठहराव के मामले में दैनिक भत्ते की दर।

35. संचार की खराबी, बन्द, कर्फ्यू, बाढ, वर्षा, भारी हिमपात, भूस्खलन से सड़क अवरोध के कारण या विलम्बित जहाज, नौ—चालन या हवाईजहाज लिफ्ट इत्यादि की प्रतीक्षा के कारण दौरा यात्रा या प्रशिक्षण पर मार्ग में आने वाले बाध्य ठहराव के सभी मामलों में ठहराव की ऐसी अवधि को ड्यूटी के रूप में समझा जाएगा तथा पूरा दैनिक भत्ता, स्टेशन, जिसमें बाध्य ठहराव घटित होता है, के लिए अनुज्ञेय दर पर बाध्य ठहराव की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण.— इस नियम के अधीन दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

दैनिक भत्तें की प्राप्ति जब यात्रा सरकारी वाहन द्वारा की गई है।

36. सरकारी कर्मचारी सरकारी वाहन द्वारा की गई यात्रा के लिए दैनिक भत्ता नीचे दिए गए अनुसार प्राप्त करने के लिए हकदार होगा :—

क्रम संख्या	बीस किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति	दैनिक भत्ता
1.	जहां मुख्यालय से अनुपस्थिति छः घण्टे तक की है।	कोई दैनिक भत्ता नहीं
2.	जहां मुख्यालय से अनुपस्थिति छः घण्टे से अधिक और बारह घण्टे तक की है।	दैनिक भत्ते का पचास प्रतिशत
3.	जहां अनुपस्थिति एक या दो कलैण्डर दिन (दिनों) के भीतर तथ्य का ध्यान किए बिना बारह घण्टे से अधिक और चौबीस घण्टे तक की है।	पूर्ण दैनिक भत्ते

टिप्पण 1.— जब यात्रा अंशतः सरकारी वाहन (अर्थात् या तो मुख्यालय से जाने, या वापसी के लिए) तथा अंशतः लोक वाहन द्वारा की गई है, तो कोई किराया सरकारी वाहन द्वारा की गई यात्रा दूरी के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा किन्तु दैनिक भत्ता लोक वाहन द्वारा सम्पूर्ण यात्रा को मानते हुए विनियमित किया जाएगा।

टिप्पण 2.— जब सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या चाटर्ड विमान मुफ्त पारगमन के लिए अनुज्ञात किया गया है, तो वह मुख्यालय से अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ते का हकदार है।

टिप्पण 3.— हरियाणा के महाप्रबन्धक, कार्य प्रबन्धक, यातायात प्रबन्धक, मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक तथा स्टेशन पर्यवेक्षक सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन परिवहन, सरकारी परिवहन सेवा में ड्यूटी पर यात्रा करते समय केवल तभी दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जब वे अपने मुख्यालय से दूर रात गुजारते हैं।

दैनिक भत्ते की प्राप्ति जब यात्रा स्वंय के वाहन या टैक्सी द्वारा की गई है।

37. सरकारी कर्मचारी जिसने अपने स्वयं के वाहन या टैक्सी में यात्रा की है, तो वह यात्रा दिन (दिनों) के लिए आधे दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

विश्राम गृह में ठहरने के मामले में दैनिक भत्ता।

38. गैर—वाणिज्यिक आधार पर किसी सरकार के अधीन किसी संगठन द्वारा या सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह, सर्किट गृह, हरियाणा भवन में रात को ठहरने तथा कर्मचारी को ठहरने के लिए भुगतान करने के मामले में दैनिक भत्ता पच्चीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा तथा प्रत्येक कण्लैडर दिन के लिए सरकार/लोक क्षेत्र अतिथि गृह प्राधिकरण को सरकारी कर्मचारी द्वारा भुगतान आवास प्रभारों (नाश्ता/भोजन को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

दैनिक भत्ते की प्राप्ति जब राज्य अतिथि के रूप में समझा गया है।

39. कोई सरकारी कर्मचारी जिसे दौरे के समय, भारत के भीतर या बाहर राज्य अतिथि के रूप में समझा गया है, को दैनिक भत्ता निम्न दर पर अनुज्ञेय होगाः–

(i) ¼ दर, यदि भोजन व्यवस्था तथा आवास स्थान का मुफ्त उपयोग किया है;

(ii) ½ दर, यदि या तो भोजन व्यवस्था या आवास स्थान का दोनों में से किसी एक का मुफ्त उपयोग किया है;

(iii) ½ दर, यदि भोजन व्यवस्था तथा आवास–स्थान का आधे दिन के लिए मुफ्त उपयोग किया है; तथा

(iv) ¾ दर, यदि या तो भोजन व्यवस्था या आवास–स्थान का आधे दिन के लिए मुफ्त उपयोग किया है;

टिप्पण.– औपचारिक रूप में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी या किसी संगठन के खर्चे पर लिया गया केवल दोपहर का खाना या रात्रि भोज या चाय को दैनिक भत्ते के लिए अनदेखा कर दिया जाएगा।

हरियाणा तथा चण्डीगढ़ के बाहर होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

40. (1) जहां सरकारी कर्मचारी हरियाणा तथा चण्डीगढ़ के बाहर दौरे के समय वाणिज्यिक आधार पर चलाए गए आवास में ठहरता है, तो वास्तविक होटल/पर्यटक बंगला खर्चे निम्नलिखित सीमाओ तक प्रतिपूर्तियोग्य होंगेः–

ग्रेड	**होटल प्रभार/वाणिज्यिक अतिथि गृह आवास की प्रतिपूर्ति की हकदारी**
ग्रेड–I	5,000/– रुपये प्रतिदिन तक + आधा दैनिक भत्ता।
ग्रेड–II	4,000/– रुपये प्रतिदिन तक + आधा दैनिक भत्ता।
ग्रेड–III	3,000/– रुपये प्रतिदिन तक + आधा दैनिक भत्ता।
ग्रेड–IV	1500/– रुपये प्रतिदिन तक + आधा दैनिक भत्ता।
ग्रेड–V	500/– रुपये प्रतिदिन तक + आधा दैनिक भत्ता।

(2) होटल या वाणिज्यिक अतिथि गृह प्रभारों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञेय होगीः–

1. दौरे पर यात्रा में गन्तव्य (गन्तव्यों) स्थल पर रात्रिवास है।
2. इन नियमों के ग्रेड I, II तथा III के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारी हरियाणा/चण्डीगढ़ के बाहर दौरे के दौरान हरियाणा भवन या सरकारी कर्मचारी के विभाग द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य विश्राम गृह/अतिथि गृह में आवास की अनुपलब्धता प्रमाणित करेगा।
3. किसी मामले में, यदि किसी दिन (दिनों) के भोजन व्यवस्था प्रभार (अर्थात् नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा/या रात्रि भोज प्रभार) होटल प्रभारों के बिल में शामिल किए गए हैं, तो कोई भी दैनिक भत्ता उस दिन के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा।
4. हरियाणा तथा चण्डीगढ़ में दौरे के समय ठहरने के लिए होटल प्रभारों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

अध्याय–VI

न्यायालय के सम्मुख जांच के लिए उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता

पुलिस/चौकसी/सी.बी.आई या न्यायालय के सम्मुख उपस्थिति के लिए यात्रा भत्ता।

41. (1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, निलम्बन के अधीन या अन्यथा, मामला जिसमें उसका शामिल होना संदिग्ध है, के सम्बन्ध में पुलिस, चौकसी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सरकार द्वारा गठित किसी आयोग या अभिकरण में उपस्थित होने के लिए यात्रा करता है, तो दौरे के रूप में यात्रा के लिए यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जा सकता है, बशर्ते कि वह यात्रा कार्यालयाध्यक्ष के निर्देश के अधीन या अनुमोदन से की गई थी।

(2) जहां निलम्बनाधीन कोई सरकारी कर्मचारी अभियुक्त के रूप में किसी विधि न्यायालय में पेश होने के लिए यात्रा करता है तथा बाद में न्यायालय द्वारा विमुक्त कर दिया जाता है तथा सेवा में बहाल कर दिया जाता है या बहाल हो गया होता किन्तु उसकी मृत्यु या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की दशा में, या स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञात किया गया है, तो वह ग्रेड जिससे वह निलम्बन से पूर्व सम्बन्धित है, पर उसकी हकदारी तक सीमित दौरे की यात्रा के लिए वह या उसके परिवार का पात्र सदस्य यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

टिप्पण.– सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर दिए गए निजी सुनवाई के अवसर पर की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता।

42. यदि कोई सरकारी कर्मचारी (निलम्बनाधीन नहीं है) जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है तथा जांच करने वाले अधिकारी के सम्मुख पेश होने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अग्रसर होना अपेक्षित है, तो उसे जांच अधिकारी से यथाविनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति के अध्यधीन दौरे के अनुसार यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जा सकता है।

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..(आरोपित व्यक्ति का नाम व पदनाम) उसके विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच में दिनांक....................................... को .... में (स्थान) मेरे सम्मुख पेश हुआ है तथा उसे दिनांक.............................. को ....बजे (समय) मुक्त किया गया था।

उसकी यात्रा तथा अन्य खर्चों के मद्दे उसको कुछ भी नहीं दिया गया है।

स्थानः..................................... हस्ताक्षर

दिनांकः.................................... जांच अधिकारी का पदनाम

रिकार्ड को पढ़ने के लिए यात्रा हेतु यात्रा भत्ता।

43. सरकारी कर्मचारी, निलम्बनाधीन है या नहीं, को उसके बचाव की तैयारी के लिए रिकार्ड या दस्तावेजों के अवलोकन के प्रयोजन के लिए स्टेशन तक की गई यात्रा के लिए, ठहराव सहित (कुल मिलाकर अधिकतम तीन दिनों के लिए) दौरे के रूप में यात्रा के लिए यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा। यात्रा भत्ते को प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है किः–

(i) दण्ड प्राधिकारी या जांच अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति देता है कि अवलोकन किए जाने वाला रिकार्ड बचाव के लिए सुसंगत तथा आवश्यक है।

(ii) सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि रिकार्ड सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी, के मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है।

(iii) यात्रा, कार्यालयाध्यक्ष के अनुमोदन से की गई है।

सबूत देने हेतु यात्रा का यात्रा भत्ता।

44. (1) इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सरकारी कर्मचारी जिसे निम्नलिखित मामले में सबूत देने के लिए सम्मन किया गया हैः–

(क) दांडिक या सिविल मामला जिसमें सरकार पक्षकार है; या

(ख) उचित रूप से गठित प्राधिकरण द्वारा की गई विभागीय जांच।

जिसके तथ्य उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में उसकी जानकारी में आए हैंः तो दौरे की यात्रा की तरह यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि–

(i) न्यायालय या अन्य प्राधिकरण जिसने उसको सम्मन किया है, द्वारा दिया गया उपस्थिति का प्रमाण–पत्र दावे के साथ लगाया जाएगा;

(ii) यात्रा के लिए न्यायालय या प्राधिकरण से प्राप्त राशि तथा/या प्रतिपूर्ति, यदि काई हो, सरकार को जमा करवाई जाए।

(2) सरकारी कर्मचारी उन मामलों में भी यात्रा भत्ते का हकदार होगा जहां–

(i) उसे उसकी कार्यालय ड्यूटी के निर्वहन में उस द्वारा किए गए कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध लगाए गए आपराधिक या सिविल मामलों में उत्तर के लिए बाध्य किया गया है; तथा।

(ii) सरकार ने सरकारी लागत पर उसका बचाव करने का निर्णय किया है।

टिप्पण 1.— सरकारी कर्मचारी जिसने मुख्यालय से भिन्न स्थान से अवकाश या लम्बी छुट्टी के दौरान इस नियम के अधीन यात्रा की है, तो वह स्थान जहां से उसे सम्मन किया गया है से तथा तक दौरे के रूप में यात्रा भत्ते का हकदार है मानो वह ड्यूटी पर था।

टिप्पण 2.— इस नियम के उपबन्ध सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

(3) सरकारी कर्मचारी, जिसे उपरोक्त खण्ड (1) व (2) से भिन्न वर्णित परिस्थितियों में न्यायालय या उचित रूप से गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समन किया गया है, तो वह विभाग से किसी यात्रा भत्ते का हकदार नहीं होगा। यदि न्यायालय यात्रा भत्ते के बदले में प्रतिपूर्ति के लिए कोई राशि उसको देता है, तो उसे उस द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अनुपस्थिति की अवधि को आकस्मिक अवकाश या किसी अन्य प्रकार के देय अवकाश के रूप में समझा जाएगा।

अन्य सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।

45. (1) सरकारी कर्मचारी जिसे दंडिक न्यायालय द्वारा भेजे गए समन पर अन्य सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में तथ्यों के बारे में सबूत देने के लिए, जिसकी वह सरकारी जानकारी रखता है, यात्रा करनी अपेक्षित है, को यात्रा भत्ते का भुगतान उस विभाग/सरकार द्वारा किया जाएगा जहां वह उस समय कार्य कर रहा है, बशर्ते कि—

(क) उस सरकार या न्यायालय से उस द्वारा प्राप्त भुगतान, यदि कोई हो, दावे में समायोजित किया जाएगा; तथा

(ख) उपस्थिति का प्रमाण—पत्र सम्बन्धित विभाग या न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, से उस द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पण.—उसको अनुज्ञेय राशि की गणना करने के लिए विभाग/न्यायालय को समर्थ बनाने हेतु सरकारी कर्मचारी को दौरे पर यात्रा के लिए उसको अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें दर्शाने वाला नियन्त्रक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षारित प्रमाण—पत्र पास रखना चाहिए। यदि सरकारी कर्मचारी अपना स्वयं नियन्त्रक अधिकारी है, तो प्रमाण—पत्र उसी प्रकार उस द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) जब सरकारी कर्मचारी को तकनीकी या विशेषज्ञ गवाही के रूप में साक्ष्य देने के लिए सम्मन किया गया है, तो उसे मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को वेतन तथा यात्रा भत्ते तथा उसको देय अन्य खर्चे पहले सरकार जिसके अधीन वह काय कर रहा है, द्वारा वहन किये जाएंगे तथा बाद में मांग करने वाली सरकार से वसूल किये जाएंगे।

विदेश सेवा के समय सबूत देने के लिए यात्रा हेतु यात्रा भत्ता।

46. विदेश सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी को उसके मूल विभाग, जिसमें सरकार पक्षकार है, में उसकी पूर्व नियुक्ति से सम्बन्धित किसी मामले में सबूत देने के लिए न्यायालय द्वारा सम्मन किया गया है, तो उसके यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान विदेशी नियोजक द्वारा किया जाएगा तथा उसकी प्रतिपूर्ति मूल विभाग से ली जाएगी। न्यायालय से प्राप्त कोई राशि ऐसे कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक की निधियों में जमा की जाएगी तथा अनुरूप कटौती प्रतिपूर्ति के दावे में की जाएगी।

प्राईवेट (निजि) पक्षकार द्वारा न्यायिक कार्यवाइयां संस्थित करने के मामले में यात्रा भत्ता।

47. जब न्यायिक कार्रवाई किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उसकी सरकारी ड्यूटी या पद से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में प्राईवेट पक्षकार द्वारा संस्थित की गई है तथा स्वयं सरकार उसकी सहमति से सरकारी कर्मचारी का बचाव करती है, तो न्यायालय के सम्मुख पेश होने के लिए यात्रा हेतु यात्रा भत्ता, दौरे की अनुज्ञेय दर पर उसको भुगतान किया जाएगा । बशर्ते कि विधि के न्यायालय द्वारा यात्रा खर्चे वादी द्वारा यथा भुगतानयोग्य के आदेश नहीं किए गए हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारी को यात्रा भत्ता।

48. (1) **दस्तावेजों के अवलोकन हेतु—**

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, को अपने बचाव की तैयारी में कार्यालय दस्तावेजों के अवलोकन के लिए स्टेशन से बाहर की यात्रा करने के लिए ठहरने हेतु दौरे के रूप में (अधिकतम तीन दिनों के दैनिक भत्ते तक प्रतिबन्धित) दैनिक भत्ते सहित यात्रा भत्ते का हकदार होगा। ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता दावा उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व हकदारी के अनुसार अनुज्ञात होगा। यात्रा भत्ता देना शर्तों के अध्यधीन होगा कि जांच अधिकारी/दण्ड प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि अवलोकन किया जाने वाला कार्यालय रिकार्ड बचाव कथन की तैयारी के लिए सुसंगत या अनिवार्य है।

(2) **विभागीय जांच में हाजिर होने के लिए—**

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है, में हाजिर होने के लिए कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने निवास स्थान से जांच के स्थान तथा वापसी तक जांच के संबंध में यात्रा के लिए दौरे के रूप में यात्रा भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि जांच अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि जांच सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के व्यवहार के लिए आरोप्य कारणों के मद्दे विलम्बित नहीं हुई थी। ऐसे मामलो में यात्रा भत्ता दावा उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व हकदारी के अनुसार अनुज्ञात होगा । यात्रा भत्ते का कोई भी अग्रिम ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में नहीं दिया जाएगा।

(3) **न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में न्यायालय में हाजिर होने के लिए—**

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा संस्थित की गई है तथा वह स्टेशन से बाहर विधि न्यायालय में ऐसे मामलों में हाजिर होता है, को उसके निवास स्थान से न्यायिक कार्रवाई के स्थान तक उस द्वारा की गई यात्रा के लिए दौरे का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि उसे न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक विमुक्त किया गया हो।

टिप्पण.—सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता सम्मन करने वाले न्यायालय से प्रमाण—पत्र को प्रस्तुत करने के अध्यधीन कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है उसके विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(4) **जब आपराधिक या सिविल मामलों में उत्तर देने के लिए बाध्य किया गया है—**

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ऐसे मामले में यात्रा भत्ते के लिए भी हकदार होगा जहां उसे उसकी कार्यालय ड्यूटी के निर्वहन में अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व उस द्वारा किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध लगाए गए आपराधिक या सिविल मामले में उत्तर देने के लिए बाध्य किया गया है बशर्ते मामले में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ने सरकारी लागत पर उसका बचाव करने का निर्णय किया हो।

****

अध्याय–VII

विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता

49. (1) सरकारी कर्मचारी, सीधे पद की नियुक्ति के सिवाए, स्थान जिस पर वह बाध्यकारी विभागीय परीक्षा या सरकार द्वारा आयोजित सेवा में किसी अन्य परीक्षा के लिए उपस्थित होता है, तो इस यात्रा के लिए दौरा दरों पर ठहराव के लिए दैनिक भत्ते सहित यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु यह– परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता।

(क) यात्रा भत्ता किसी विशेष परीक्षा के लिए दो बार से अधिक प्राप्त नहीं किया जाएगा; तथा

(ख) कार्यालयाध्यक्ष किसी उम्मीदवार को इस नियम के अधीन यात्रा भत्ता अस्वीकार करते हेतु सक्षम प्राधिकारी है जो, उसकी राय में,–

(i) बाध्यकारी परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करने की ड्यूटी की संदोष रूप से उपेक्षा करता है;

(ii) परीक्षा जो बाध्यकारी नहीं है में योग्यता के युक्तियुक्त मानक का प्रदर्शन नहीं करता है।

(2) यह उपबन्ध उस सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होगा जिसे अवकाश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात किया गया है। ऐसे मामलों में अनुज्ञेय यात्रा भत्ता वही होगा जो उसने पूर्व मुख्यालय (जहां वह अन्त में ड्यूटी पर था) से परीक्षा के स्थान तक या उस स्थान से जहां वह अवकाश बिता रहा है, से परीक्षा के स्थान तक जो भी निकटतम हो, अनुज्ञेय है।

टिप्पण.– टंकण परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा जो साधारण वेतनवृद्धि या उच्चतर पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए या परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए अनिवार्य है, विभागीय परीक्षा में शामिल है।

50. यदि कोई सरकारी कर्मचारी वास्तव में परीक्षा के स्थान तक यात्रा करता है किन्तु वह अन्तिम क्षण में उसके रद्दकरण के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, अर्थात् यदि रद्दकरण के बारे में सूचना यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व समाचार पत्र या अन्यथा द्वारा नहीं दी गई है, तो उसे यात्रा भत्ता अनुज्ञेय होगा। अन्तिम क्षण में विभागीय परीक्षा का रद्दकरण।

51. जब कोई सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण के पाठ्क्रम में जाने के लिए निर्देशित किया गया है, तो वह निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:– भारत में प्रशिक्षण के समय यात्रा भत्ता।

(क) प्रशिक्षण के स्थान तक तथा से वापसी यात्रा के लिए, जिसमें प्रशिक्षण पाठयक्रम के दौरान की गई यात्रा जो ऐसे प्रशिक्षण, यदि कोई हों, के लिए अनिवार्य है, के सहित यात्रा भत्ता; तथा

(ख) ठहराव के दिन के लिए दैनिक भत्ता निम्नानुसार होगा :–

(i)	जहां कहीं भोजन तथा आवास स्थान के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है।	प्रथम साठ दिन तक पूर्ण दैनिक भत्ता।
(ii)	यदि व्यवस्था या तो केवल भोजन या आवास–स्थान के लिए भुगतान आधार पर होती है।	पूर्ण दैनिक भत्ता या आधा दैनिक भत्ता जमा वास्तविक भोजन या आवास–स्थान प्रभार, जो भी अधिक हो।
(iii)	यदि व्यवस्था, भोजन तथा आवास–स्थान दोनों के लिए भुगतान आधार पर होती है।	पूर्ण दैनिक भत्ता या ¼ दैनिक भत्ता जमा संस्था में वास्तविक भोजन तथा आवास–स्थान प्रभार, जो भी अधिक हो।
(iv)	यदि व्यवस्था या तो केवल भोजन या आवास– स्थान के लिए मुफ्त होती है।	½ दैनिक भत्ता
(v)	यदि व्यवस्था भोजन तथा आवास–स्थान दोनों के लिए मुफ्त होती है।	¼ दैनिक भत्ता

(ग) दैनिक भत्ते की उपरोक्त स्वीकार्यता प्रशिक्षण के साठ दिन के बाद आधे तक घटा दी जाएगी।

(घ) यात्रा के दिनों के लिए, दैनिक भत्ता दौरा दरों पर अनुज्ञेय होगा।

(ङ) यदि भोजन व्यवस्था तथा/या आवास स्थान की व्यवस्था मुफ्त उपलब्ध कराई गई है किन्तु उसका लाभ प्रशिक्षु द्वारा नहीं उठाया गया है, तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया गया समझा जाएगा।

(च) कोई भी होटल प्रभार हरियाणा के भीतर या बाहर प्रशिक्षण के मामले में अनुज्ञेय नहीं होंगे।

जहां प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था अस्थाई मुख्यालय के रूप में नियत है।

52. यात्रा भत्ता नीचे लिखित नियम 57 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा यदि स्टेशन जहां प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था स्थित है, प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी के लिए अस्थाई मुख्यालय नियत कर दिया जाता है।

अध्याय–VIII

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

समेकित स्थानान्तरण अनुदान की हकदारी।

53. लोकहित में स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारी यात्रा दिन (दिनों) के लिए स्वयं तथा परिवार के सदस्य (सदस्यों) के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ते, माल चढ़ाई व उतराई प्रभार, दैनिक भत्ते, यात्रा की वास्तविक लागत, सड़क दूरी भत्ते, स्थानीय दूरी भत्ते के बदले में इन नियमों में विहित दर (दरों) के अनुसार समेकित स्थानान्तरण अनुदान के लिए हकदार होगाः बशर्तेः–

(i) लोकहित में स्थानान्तरण में निवास स्थान का परिवर्तन शामिल है; तथा

(ii) छः मास की अवधि के भीतर में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उसने अपने नये मुख्यालय में अपना निवास–स्थान बदल लिया है।

समेकित स्थानान्तरण अनुदान का कोई भी भुगतान कार्यालयाध्यक्ष तथ खजाना अधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक स्थानान्तरण आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्थानान्तरण लोकहित में है या प्रशासकीय आधारों पर है।

टिप्पण 1.– उसी स्टेशन पर स्थानान्तरण पर अनुज्ञात किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे स्थानान्तरण में किसी नियम में निवास–स्थान का बाध्यकारी परिवर्तन शामिल हैं।

टिप्पण 2.– जहां पति तथा पत्नी दोनों किसी विभाग तथा/या हरियाणा सरकार के अधीन संगठन में सेवारत हैं, एक ही स्टेशन पर कार्य के दौरान उसके पति/पत्नी किसी एक के स्थानान्तरण के बाद छः मास की अवधि के भीतर उसी नए स्टेशन पर पति/पत्नी को स्थानान्तरित कर दिया गया है, तो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता उनमें से किसी एक को अनुज्ञेय होगा तथा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र के भी अध्यधीन होगाः–

1. "प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जो हरियाणा सरकार के अधीन विभाग/संगठन .... में नियोजित है, को मेरे स्थानान्तरण के छः मास में .... से .... तक स्थानान्तरित किया जाता है, तो वो स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का दावा नहीं करेगी/करेंगे;" तथा

2. "प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जो हरियाणा सरकार के अधीन विभाग/संगठन .... में नियोजित हैं, ने मेरे स्थानान्तरण के पूर्ववर्ती छः मास के दौरान .... से .... तक उसके स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का दावा नहीं किया है।"

व्याख्या.– 20 किलोमीटर के घेरे के भीतर के स्थान पर पति/पत्नी की तैनाती/स्थानान्तरण को इस नियम के प्रयोजन के लिए उसी स्टेशन के रूप में समझा जाएगा।

समेकित स्थानान्तरण अनुदान की दरें।

54. लोकहित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय समेकित स्थानान्तरण अनुदान की दर नीचे दिए गए अनुसार होगी बशर्ते इसमें निवास स्थान का परिवर्तन शामिल होः–

समेकित स्थानान्तरण अनुदान की दरें							
ग्रेडिंग	20 किलोमीटर तक	21 से 100 किलोमीटर तक	101 से 200 किलोमीटर तक	201 से 300 किलोमीटर तक	301 से 500 किलोमीटर तक	501 से 1,000 किलोमीटर तक	1,000 से ऊपर
I & II	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	40,000+	48,000+
III	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	30,000+	36,000+
IV	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	20,000+	24,000+
V	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	10,000+	12,000+

टिप्पण 1.— 500 किलोमीटर से बाहर यात्रा के मामले में समेकित स्थानान्तरण अनुदान के अतिरिक्त, पारिवारिक सदस्यों के वास्तविक यात्रा खर्चया सड़क दूरी भत्ता, जैसी भी स्थिति हो, हकदारी तक सीमित होगा।

टिप्पण 2.— समेकित स्थानान्तरण अनुदान की उपरोक्त दर इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल से 5 प्रतिशत की दर से स्वतः बढ़ जाएगी।

टिप्पण 3.— 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थानान्तरण के मामले में यात्रा सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों) द्वारा हकदारी के अध्यधीन श्रेणी में सार्वजनिक वाहन द्वारा या अपने वाहन द्वारा निष्पादित की जा सकती है।

टिप्पण 4.— समेकित स्थानान्तरण अनुदान सरकारी कर्मचारी को अवकाश के दौरान या अवकाश से वापसी के समय स्थानान्तरित करने के तथ्य को ध्यान में रखे बिना लोकहित में स्थानान्तरण के मामले में स्वीकार्य होगा।

टिप्पण 5.— यात्रा के समय पर अस्तित्व दर लागू होंगी।

निलम्बनाधीन अवधि में मुख्यालय को बदलने पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/समेकित स्थानान्तरण अनुदान।

55. निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी जिसका मुख्यालय लोकहित में परिवर्तित किया है, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/समेकित स्थानान्तरण अनुदान के लिए हकदार होगा किन्तु कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा यदि मुख्यालय उसके अनुरोध पर परिवर्तित किया गया है।

500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थानान्तरण पर यात्रा के लिए समय सीमा।

56. 500 किलोमीटर से अधिक स्थानान्तरण के मामले मे, पारिवारिक सदस्य जो भारमुक्त होने की तिथि के छः मास के बाद में या एक महीने पहले प्रस्थान करता है, तो वह हकदारी तक सीमित वास्तविक रेल/हवाई जहाज भाड़े का हकदार होगा।

टिप्पण 1.— कोई भी यात्रा भत्ता स्थानान्तरण की तिथि के बाद परिवार में जुड़े किसी सदस्य के सम्बन्ध में अनुज्ञेय नहीं होगा।

टिप्पण 2.— यदि कोई परिवार का सदस्य (सदस्यों) सरकारी कर्मचारी के पुराने स्टेशन से अन्यथा स्थान से, नए स्टेशन तक यात्रा करता है/करते हैं, तो सरकारी कर्मचारी रेल/हवाई जहाज, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ऐसे सदस्य (सदस्यों) द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा की वास्तविक लागत प्राप्त कर सकता है, परन्तु उनकी राशि वास्तविक किराए की राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे अनुज्ञेय होती, मानो ऐसे सदस्य (सदस्यों) ने कर्मचारी के पुराने स्टेशन से नए स्टेशन तक प्रस्थान किया था।

अस्थाई स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता।

57. लोकहित में 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक स्टेशन से दूसरे तक अस्थाई स्थानान्तरण पर उसका यात्रा भत्ता नीचे दिए गए अनुसार विनियमित होगाः—

1. इन नियमों के अधीन दौरे पर यथा अनुज्ञेय यात्रा दिनों के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता।
2. अस्थाई मुख्यालय या प्रतिनियुक्ति स्टेशन पर ठहरने के दिनों के लिए उसकी हकदारी के पच्चीस प्रतिशत की दर से दैनिक भत्ता एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं।
3. यदि कोई सरकारी कर्मचारी उसके मुख्यालय से भिन्न अस्थाई मुख्यालय से कुछ अन्य स्टेशनों तक लोकहित में दौरे पर यात्रा करता है, तो दैनिक भत्ता साधारण नियमों के अधीन विनियमित होगा।
4. जब अस्थाई स्थानान्तरण एक सौ अस्सी दिन से अधिक लोकहित में विस्तारित किया गया है, तो उसे इन नियमों के प्रयोजन के लिए नियमित स्थानान्तरण के रूप में समझा जाएगा। ऐसे मामले में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता पुराने स्टेशन से नए स्टेशन तक अनुज्ञेय होगा।
5. जहां सरकारी कर्मचारी, अस्थाई स्थानान्तरण पर, को एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति से पूर्व दूसरे स्टेशन (उसके पुराने मुख्यालय से भिन्न) पर लोक हित में स्थानान्तरित किया गया है, तो स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (समेकित स्थानान्तरण अनुदान) पुराने स्टेशन से नए स्टेशन तक अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण.— कोई भी यात्रा भत्ता तथा/या दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए अस्थाई रूप से स्थानान्तरित किया गया है।

अतिरिक्त कार्यभार के मामले में यात्रा भत्ता।

58. सरकारी कर्मचारी, जिसे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरे स्टेशन पर पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो वह यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता का हकदार होगा जो दौरे के समय अनुज्ञेय है।

59. एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी, यदि उसे मुख्यालय से भिन्न स्थान पर पुराने पद का कार्यभार देने या नए पद का कार्यभार लेने के लिए अनुमत किया गया है, उस स्थान के दैनिक भत्ता सहित यात्रा भत्ता का हकदार होगा। कार्यभार लेने तथा देने पर यात्रा भत्ता।

60. पारगमन के समय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के स्थानान्तरण पर (नए स्टेशन का कार्यग्रहण करने से पूर्व) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (समेकित स्थानान्तरण अनुदान) पुराने स्टेशन, जहां से वह पहले कार्यभार मुक्त हुआ है, से नए स्टेशन तक का अनुज्ञेय होगा। पारगमन के समय दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण।

61. सरकारी कर्मचारी, जो अपने पुराने पद का कार्यभार देने के बाद अवकाश पर चला गया है, को नए स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, तो वह अपने पुराने मुख्यालय से नए स्टेशन तक स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का हकदार होगा चाहे स्थानान्तरण आदेश अवकाश की समाप्ति से पूर्व या बाद में प्राप्त किए गए हों। अवकाश के समय स्थानान्तरण के मामले में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

62. सीधी भर्ती या अन्यथा द्वारा हरियाणा सरकार के किसी विभाग में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उसकी पश्चातवर्ती नियुक्ति पर स्थाई सरकारी कर्मचारी पश्चात्वर्ती नियुक्ति का कार्यग्रहण करने पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते (समेकित स्थानान्तरण अनुदान) का हकदार होगा बशर्ते कि उसने अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया हो। पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

टिप्पण.—यह लाभ हरियाणा सरकार के किसी विभाग में उसकी पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर अन्य सरकार के स्थाई या अस्थाई सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगा।

63. (1) लोकहित में किसी सरकार के अधीन संगठन में विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर या उससे लौटने पर दोनों तरफ का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता इन नियमों या विदेशी नियोजक के नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा, जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो। सम्पूर्ण दायित्व विदेशी नियोजक द्वारा उठाया जाएगा। विदेश सेवा में स्थानान्तरण पर या दूसरी सरकार/विभाग में प्रतिनियुक्ति पर यात्रा भत्ता।

(2) किसी सरकार के अधीन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या उससे प्रत्यावर्तन के मामले में, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता उस विभाग/सरकार के नियमों के अधीन विनियमित होगा जिसमें सरकारी कर्मचारी जा रहा है, तथा सम्पूर्ण दायित्व भी उसी विभाग/सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अध्याय–IX

चिकित्सा परामर्श/उपचार के लिए यात्रा भत्ता

चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा भत्ता।

64. (1) सरकारी कर्मचारी या उस पर निर्भर उसके पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए, हवाई जहाज के सिवाए, यात्रा के हकदार साधन द्वारा भारत के भीतर यात्रा के लिए वास्तविक यात्रा खर्चे (दैनिक भत्ते को छोड़कर) के लिए हकदार होगा। यदि यात्रा हकदारी से उच्चतर किसी साधन या श्रेणी द्वारा की गई है, तो वास्तविक यात्रा खर्च इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक अनुज्ञेय होगा।

(2) यदि यात्रा चिकित्सा उपचार के लिए अपने वाहन द्वारा की गई है, तो सड़क दूरी भत्ता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन अनुज्ञेय होगा।

(3) चिकित्सा उपचार के लिए हवाईजहाज द्वारा यात्रा सरकारी खर्च पर अनुज्ञेय नहीं होगी सिवाए जब निकटतम सिविलसर्जन या किसी सरकार के अस्पताल के किसी अन्य उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हवाई जहाज से भिन्न किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा से मरीज का जीवन निश्चित रूप सें संकटापन्न होगा या उसकी स्थिति में गम्भीरवृद्धि का जोखिम शामिल होगा।

टिप्पण 1.– प्रशासकीय विभाग हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए कार्योत्तर अनुमोदन देने के लिए सक्षम होगा।

टिप्पण 2.– इस नियम के अधीन यात्रा भत्ते की सुविधा अनुवर्ती उपचार या बाहरी उपचार के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा।

टिप्पण 3.– इस नियम के उपबन्ध सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को भी आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो पहले ही अन्य राज्य/संघ क्षेत्र में रहता है, भी सरकारी चिकित्सा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गए उसी प्रकार के ऐसे मामलों में यात्रा भत्ते के हकदार होगा।

चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा का प्रारम्भ तथा समाप्ति।

65. चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिए यात्रा, स्थान जहां से मरीज उपचार के स्थान तक वास्तव में यात्रा करता है, से प्रारम्भ तथा वापसी यात्रा स्थान जहां से मरीज ने उपचार प्राप्त करने लिए प्रस्थान किया है या सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के निवास स्थान तक, जो भी निकट हो, पर समाप्त की गई समझी जाएगी।

चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होने के लिए यात्रा भत्ता।

66. सरकारी कर्मचारी, जिसे लोकहित में चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर अवकाश देने या अन्यथा प्रयोजन के लिए चिकित्सा जांच हेतु चिकित्सा बोर्ड के सम्मुख पेश होने के लिए निर्देशित किया गया है, दौरे पर अनुज्ञेय अनुसार दैनिक भत्ते सहित यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

टिप्पण.–कोई भी यात्रा भत्ता सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति पर अपेक्षित उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए की गई यात्रा हेतु अनुज्ञेय नहीं है।

परिचर के लिए यात्रा भत्ता।

67. यदि सरकार का चिकित्सा अधिकारी, जिसकी ड्यूटी सरकारी कर्मचारी/पारिवारिक सदस्य की सेवा करने के लिए है, की राय है कि राज्य में या बाहर अतिरिक्त चिकित्सा परामर्श या उपचार प्राप्त करने के लिए बिना साथी के यात्रा करना मरीज के लिए असुरक्षित है, तो परिचर मरीज के साथ जा सकता है, तथा यदि परिचर–

(क) सरकारी कर्मचारी है, तो उसे ड्यूटी पर यात्रा करने वाला समझा जाएगा, तथा दौरे पर यात्रा के अनुसार बाहरी तथा वापसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है; तथा

(ख) सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो बाहरी तथा वापसी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च प्राप्त कर सकता है।

परामर्श के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा अधिकारी को यात्रा भत्ता।

68. सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो गम्भीर रूप से बीमार है, तथा परिचर्या के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की राय है कि दूसरे चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श आवश्यक है, तो परामर्श के प्रयोजन के लिए दूसरे चिकित्सा अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के पास जाना उसके लिए खुला है, तथा इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी के लिए, सरकार उसका यात्रा भत्ता वहन करेगी। अधिकारी का चयन करते समय महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं मरीज के सामीप्य के प्रतिफल तथा उसके हित का उचित ध्यान रखेंगे।

अध्याय–X

सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

69. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से बसाव या गृह नगर के स्थान तक, जो भी निकटतम हो, जाने के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु इन नियमों के अधीन दिए गए मापक्रम तथा शर्तों पर समेकित स्थानान्तरण अनुदान (स्थानान्तरण यात्रा भत्ता) की रियायत प्रदान की जाएगी। सेवानिवृत्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/समेकित स्थानान्तरण अनुदान।

70. (1) सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (समेकित स्थानान्तरण अनुदान) की सुविधा निम्नलिखित की तिथि के बाद एक वर्ष के भीतर प्राप्त की जा सकती है– सेवानिवृत्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की सुविधा का लाभ उठाने के लिए शर्तें।

(क) उसकी सेवानिवृत्ति या छंटनी; या

(ख) उसके पुनः नियोजन की अवधि की समाप्ति, यदि सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजित किया गया है।

(2) सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य उसकी अन्तिम तैनाती के स्थान से 500 किलोमीटर से अधिक स्टेशन पर आवास के मामले में एक मास से पूर्व की अवधि के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद छः मास के भीतर प्रस्थान कर सकते हैं।

(3) सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा कि स्थान जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है पर वास्तव में अपना घरबार बदल लिया है।

टिप्पण 1.– यह केवल एक बार अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 2.– यह उस कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगा, जो सेवा से त्यागपत्र, हटाए जाने या पदच्युति द्वारा सेवा छोड़ता है।

टिप्पण 3.– यदि पति तथा पत्नी दोनों उसी स्टेशन पर किसी सरकार के अधीन किसी विभाग/संगठन में सेवा में हैं, तो यह दोनों की वचनबद्धता पर कि पति/पत्नी सेवानिवृत्ति पर दावा नहीं करेगा/करेगी, उनमें से किसी एक को अनुज्ञेय होगा।

टिप्पण 4.– यह इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना अनुज्ञेय होगा कि गृहनगर की अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का लाभ उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व, अन्तिम वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा उठा लिया गया है।

71. सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का दावा नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वयं की सन्तुष्टि के बाद प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा कि दावाकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्य वास्तव में आवास के स्टेशन पर स्थानान्तरित हो गए हैं। सेवानिवृत्ति पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया।

72. अपनी कार द्वारा यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर अपने अन्तिम मुख्यालय से 500 किलोमीटर की दूरी से अधिक हरियाणा के बाहर आवास के मामले में अपने या पति/पत्नी द्वारा स्वामित्वाधीन केवल एक कार या जीप की ढुलाई प्रभार, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/समेकित स्थानान्तरण अनुदान के अतिरिक्त, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। वाहन की ढुलाई के लिए उपबन्ध निम्न अनुसार होंगे :– सेवानिवृत्ति पर वाहन की ढुलाई।

(i) जहां कहीं सरकारी कर्मचारी द्वारा मोटर कार/जीप उसकी सेवानिवृत्ति पर रेल या ट्रक द्वारा वाहित की गई है, तो रेलवे रसीद के अनुसार या रजिस्टर्ड ट्रक यूनियन द्वारा अनुमोदित दरों पर ऐसे परिवहन पर उपगत वास्तविक खर्च अनुज्ञेय होगा।

(ii) जब सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य अपने वाहन में यात्रा करते हैं, जो स्वयं के प्रणोदन में वाहित किया गया हो, तो सड़क दूरी भत्ता 8/– रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ढुलाई प्रभार के बदले, देय होगा। कोई अतिरिक्त सड़क दूरी भत्ता या परिवार के सदस्यों का यात्रा खर्चा देय नहीं होगा।

टिप्पण.– दुपहिया वाहन के परिवहन के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे तथा यह घरेलू माल–सामान का भाग होंगे।

73. एक सरकारी कर्मचारी, चाहे किसी भी कारणवश सेवा से निवृत्त किया गया हो, नीचे यथा वर्णित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (समेकित स्थानान्तरण अनुदान) की सुविधा का हकदार होगा, यदि वह अन्तिम ड्यूटी के स्टेशन पर या 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी अन्य स्टेशन पर बसना चाहता है, बशर्ते कि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि उसने वास्तव में अपना आवास बदल लिया है:– अन्तिम स्टेशन या 20 किलोमीटर के भीतर आवास।

ग्रेडिंग	समेकित स्थानान्तरण अनुदान की दर
I तथा II	8,000
III	6,000
IV	4,000
V	2,000

मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

74. मृतक या गायब कर्मचारी का परिवार अन्तिम मुख्यालय से गृह नगर तक लघुत्तम मार्ग का स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का हकदार होगा, बशर्ते कि मृत्यु की तिथि से या पुलिस द्वारा गुमशुदा कर्मचारी के पता न लग पाने बारे दी गई रिपोर्ट की तिथि से एक वर्ष के भीतर यात्रा पूरी की गई हो।

मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार की ग्रेडिंग।

75. मृतक या गायब सरकारी कर्मचारी के परिवार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, सेवा के समय उसकी मृत्यु या गायब होने से, पूर्व जैसी भी स्थिति हो, उस द्वारा प्राप्त परिलाभ द्वारा विनियमित होगा।

अध्याय–XI

भारत से बाहर दौरे के मामले में यात्रा भत्ता

76. (1) भारत के बाहर दौरे पर यात्रा के लिए दैनिक भत्ते की दरें इस अध्याय के अनुबन्ध में विहित दरों के अनुसार होंगी। भारत के बाहर दौरे पर दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता निम्न अनुसार होगी:– भारत से बाहर दौरे के मामले में यात्रा भत्ता प्रदान करना।

(क)	**ग्रेड-I तथा II**	अनुबन्ध में विहित दर का 100%
(ख)	**ग्रेड-III**	विहित दरों का 75%
(ग)	**ग्रेड-IV तथा V**	विहित दरों का 33%

(2) दैनिक भत्ते की दरें पूरे देश में एक समान हैं तथा इसमें स्थानीय/सरकारी यात्रा की कोई लागत शामिल नहीं है। ड्यूटी पर ट्रिप के लिए किराए पर ली गई टैक्सी या वाहन की वास्तविक लागत, जो नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथा उचित समझी जाए, प्रतिनियुक्ति या प्रत्यायोजन स्वीकृत करने वाले स्वीकृति आदेश में निधियों की विशिष्ट व्यवस्था के अध्यधीन अधिकारी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(3) कोई भी अधिकतम वित्तीय सीमा होटल किराए के लिए विहित नहीं की गई हैं किन्तु बजाए विश्व के सभी मुख्य शहरों के लिए होटलों की सूचि तैयार की गई है। अधिकारी के लिए अनुमोदित पैनल पर होटल, जिसके लिए सम्बन्धित दूतावास या उच्चायोग से सम्पर्क स्थापित किया जाएगा, में आवास प्रबन्ध तथा वास्तविक होटल कक्ष किराए (जिसमें सेवा प्रभार, कर तथा अन्य प्रभार शामिल हैं) का प्रतिपूर्ति दावा करना अपेक्षित है। उन शहरों के लिए, जहां होटलों का अनुमोदित पैनल विहित नहीं किया गया है, ऐसे शहरों में होटल में आवास किराए पर लेने के लिए देश के राजधानी शहर में अधिकारी के विशेष ग्रेड के लिए निम्नतम दर का होटल अधिकतम सीमा होगी। जहां होटल प्रभार में नाश्ता प्रभार शामिल है, दैनिक भत्ता 10 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

(4) जहां कोई अधिकारी आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करता है या केवल आवास मुफ्त दिया गया है, तो उसे उसके ग्रेड के लिए विहित दर पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(5) जहां अधिकारी को राज्य अतिथि के रूप में माना गया है या आवास तथा भोजन दोनों मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं, तो दैनिक भत्ते का पच्चीस प्रतिशत प्राप्तियोग्य होगा।

(6) दैनिक भत्ते के अतिरिक्त बख्शीश (टिपस) के मद्दे कोई भी प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं होगी।

अनुबन्ध

(देखिए नियम 76)

क्रम संख्या	देश का नाम	दैनिक भत्ता (यू.एस.+)
1	2	3
1	अफ़गानिस्तान	75.00
2	अल्बानिया	75.00
3	अल्जीरिया	75.00
4	अमेरीकान समोआ	60.00
5	अंगोला	75.00
6	अग्विला	75.00
7	अण्टीगुआ	75.00
8	अर्जेण्टीना	75.00
9	आर्मीनिया	75.00
10	ऑस्ट्रेलिया	100.00
11	आस्ट्रिया	100.00
12	अज़रबेजान	75.00
13	अरुबा	75.00
14	बहामा	75.00
15	पहरीन	75.00
16	बांग्लादेश	60.00
17	परबाडोस	75.00
18	बेल्जियम	100.00
19	बेलीज	60.00
20	बेलारूस	75.00
21	बेनिन	60.00
22	बरमुडा	75.00
23	भूटान	60.00
24	बालिविया	75.00
25	बोत्सवाना	75.00
26	बोस्निया हर्ज़गोविना	75.00
27	ब्राज़ील	75.00
28	ब्रिटिश वर्जित द्वीपसमूह	60.00
29	ब्रूनई	100.00
30	बुल्गारिया	75.00
31	बुर्किना फासो	60.00
32	बुरूण्डी	60.00
33	कारनरून	60.00
34	कनाडा	100.00
35	केप वर्दे द्वीपसमूह	60.00
36	केमैन द्वीपसमूह	60.00
37	मध्य अफ्रिकी गणराज्य	60.00
38	चाड	60.00
39	चिली	75.00
40	चीन	100.00
41	कोलम्बिया	75.00

क्रम संख्या	देश का नाम	दैनिक भत्ता (यू.एस.+)
1	2	3
42	कोमोरोस	60.00
43	कांगो, लोकतान्त्रिक गणराज्य	60.00
44	कुक द्वीपसमूह	60.00
45	कोस्टा रीका	75.00
46	क्रोएशिया	75.00
47	क्यूबा	75.00
48	साईप्रस	100.00
49	चेक गणराजय	75.00
50	डेनमार्क	100.00
51	जिबूती	60.00
52	डोमिनिका	75.00
53	डोमिनिका गणराज्य	75.00
54	इक्वेटर	75.00
55	मिस्र	75.00
56	अल साल्वाडोर	75.00
57	एरीटरी	60.00
58	भुमध्य रेखीय गिनी	60.00
59	एस्टोनिया	75.00
60	इथियोपिया	60.00
61	फ़िजी	100.00
62	फ़िनलैण्ड	100.00
63	फ्रान्स	100.00
64	फ्रान्सीसी गयाना	75.00
65	गाबॉन	60.00
66	ज़ाम्बिया	60.00
67	गाजा (पी एन ए)	75.00
68	जॉर्जिया	75.00
69	जर्मनी	100.00
70	घाना	60.00
71	जिब्रॅाल्टर	100.00
72	ग्रीस	100.00
73	ग्रेनाडा	75.00
74	ग्वाडलूप	75.00
75	ग्वाम	60.00
76	ग्वातेमाला	75.00
77	गिनी	60.00
78	गिनी द्वीपसमूह	60.00
79	गयाना	75.00
80	हैती	75.00
81	होण्डुरस	75.00
82	हांग–कांग	100.00
83	होली सी (वाटीकन सिटी)	100.00
84	हंगरी	75.00
85	आईसलैण्ड	100.00

क्रम संख्या	देश का नाम	दैनिक भत्ता (यू.एस.+)
86	इंडोनेशिया	75.00
87	ईरान	75.00
88	इराक	75.00
89	आयरलैण्ड	100.00
90	इज़राइल	75.00
91	इटली	100.00
92	आईवोरी कोस्ट	60.00
93	जनश्मायन	75.00
94	जापान	100.00
95	जॉर्डन	60.00
96	कम्पुचीन (कम्बोडिया)	75.00
97	क़जाखिस्तान	75.00
98	कीनिया	60.00
99	किरिबाती	60.00
100	कोरिया, उत्तरी	60.00
101	कोरिया, दक्षिणी	100.00
102	कुवैत	75.00
103	किर्गीजस्तान	75.00
104	लओस	60.00
105	लातविया	75.00
106	लेबनान	60.00
107	लेसाथो	60.00
108	लाइबेरिया	60.00
109	लीबिया	60.00
110	लिथुआनिया	100.00
111	लक्ज़कबर्ग	100.00
112	मकाऊ	100.00
113	मैसिडोनिया	60.00
114	मलावी	60.00
115	मलेशिया	75.00
116	मालदीव	60.00
117	माली	60.00
118	माल्टा	100.00
119	मार्टीनीक	75.00
120	मकदूनिया	75.00
121	मॉरेटानिया	60.00
122	मॉरिशस	60.00
123	मैंक्सिको	75.00
124	माइक्रोनेशिया राज्य संघ	100.00
125	मॉल्डोवा	75.00
126	मोनोको	60.00
127	मोंटेनेग्रो	75.00
128	मंगोलिया	60.00
129	मोंटसेराट	75.00
130	मोरक्को	60.00

क्रम संख्या	देश का नाम	दैनिक भत्ता (यू.एस.+)
131	मोज़ाम्बीक	60.00
132	म्यांमार	60.00
133	नामीबिया	75.00
134	नाउरू	60.00
135	नेपाल	60.00
136	नेदरलैण्ड	100.00
137	नेदरलैण्ड आंतील्स	75.00
138	न्यू कलडोनिया	60.00
139	न्यूज़ीलैण्ड	100.00
140	निकारागुआ	75.00
141	नाइजर	60.00
142	नाईजीरिया	60.00
143	नियू	60.00
144	नॉर्वे	100.00
145	ओमान	75.00
146	पैसिफिक द्वीपसमूह	75.00
147	पाकिस्तान	60.00
148	पनामा	75.00
149	पापुआ न्यू जिनिया	100.00
150	पैराग्वे	75.00
151	पोर्टो रीको	75.00
152	प्रिन्सीपैलिटी आफ लिछतैन्सतेन (वैदुज)	100.00
153	पेरू	75.00
154	फ़िलीपीन्स	75.00
155	पौलैण्ड	75.00
156	पुर्तगाल	100.00
157	क़तर	75.00
158	रीयुनियन	60.00
159	पलाऊ गणराज्य	75.00
160	रिपब्लिक आफ सलोवीनिया	100.00
161	रिपब्लिक आफ सान मैरिनो	100.00
162	रूमानिया	100.00
163	रवांडा	60.00
164	समोआ	60.00
165	साओ तोर्न और प्रिन्सिपी	60.00
166	सऊदी अरब	75.00
167	सेनेगल	60.00
168	सर्बिया	75.00
169	सेशेल्स	75.00
170	सिएरा लियोने	60.00
171	सिंगापुर	75.00
172	स्लोवाक गणराज्य	75.00
173	सोलोमन द्वीपसमूह	60.00
174	सोरनाला	60.00
175	दक्षिण अफ्रीका	75.00

क्रम संख्या	देश का नाम	दैनिक भत्ता (यू.एस.+)
176	स्पेन	100.00
177	श्रीलंका	60.00
178	सेंट किट्स और नेविस	60.00
179	सेंट लूसिया	60.00
180	सेंट विन्सेंट और ग्रेनेजियन्स	60.00
181	सूडान	60.00
182	सूरीनाम	75.00
183	स्वाजीलैण्ड	60.00
184	स्वीडन	100.00
185	स्विट्जरलैण्ड	100.00
186	सीरिया	75.00
187	तजाकिस्तान	75.00
188	तंजानिया	60.00
189	थाईलैंड	75.00
190	टोगो	60.00
191	टोंगा	60.00
192	त्रिनिदाद और टोबैगो	75.00
193	ट्यूनिशिया	60.00
194	तुर्की	100.00
195	तुर्कमेनिस्तान	75.00
196	तुर्क और ककोस द्वीप	75.00
197	तुवालू	60.00
198	युगांडा	60.00
199	संयुक्त अरब अमीरात	75.00
200	ब्रिटेन	100.00
201	संयुक्त राज्य	100.00
202	रसियन फैडरेशन	75.00
203	उकरैन	75.00
204	उरूग्वे	75.00
205	अमेरिकी वर्जिन द्वीप	60.00
206	उज़्बेकिस्तान	75.00
207	वानूअतु	75.00
208	वेनेजुएला	75.00
209	वियतनाम वलिस और फुतुना	60.00
210	यमन	60.00
211	वलिस फुटुन द्वीपसमूह	60.00
212	ज़ैरे	60.00
213	ज़िम्बाब्वे	60.00
214	ज़ाम्बिया	75.00

****

अध्याय–XII

यात्रा भत्ते पर नियन्त्रण

77. (1) सरकारी कर्मचारी पूर्व मास के दौरान की गई विभिन्न यात्राओं के लिए मास में केवल एक बार इन नियमों के साथ संलग्न विहित प्रारूप में अपना यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी अनुपूरक दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा । मास में एक बार दावा प्रस्तुत किया जाना।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दौरा प्रोग्राम की मूल प्रति दावे के साथ सदैव संलग्न की जाएगी।

78. सरकारी कर्मचारी इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अपना यात्रा भत्ता प्रस्तुत करते समय यात्रा भत्ते पर उसके अपने हस्ताक्षर से निम्न अनुसार घोषणा करेगाः– सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषणा।

मैं .... (नाम) .... (पदनाम) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने यात्रा बिल में दावे के अनुसार वास्तव में यात्रा की है तथा दावा हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार सही रूप से तैयार किया है। मैं जानता हूं कि यदि यह पाया जाता कि दावा या उसका भाग गलत तथ्यों पर आधारित है, तो मैं हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन बड़ी शास्तियों के लिए अनुशासनिक कारवाई का दायी हूंगा।

दिनांकः .... (कर्मचारी के हस्ताक्षर)

79. (क) दैनिक भत्ते सहित यात्रा भत्ते के लिए सरकारी कर्मचारी का अधिकार जब्त या छोड़ा गया समझा जाएगा, यदि इसके लिए दावा तिथि जिसको यह देय हो गया है, से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अर्थात् वह यात्रा, जिससे दावा सम्बन्धित है, की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर। दावा करने की समय सीमा।

(ख) जब यात्रा भत्ते का दावा सरकारी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की विहित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना काल–बाधित नहीं होगा कि यह एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अस्थगित रहा है।

(ग) यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी इन नियमों के नियम 48 (3) के अधीन यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र पाया गया है, तो एक वर्ष की अवधि निर्णय की घोषणा की तिथि से दावे की प्रस्तुति की तिथि तक गिनी जाएगी।

80. कार्यालयाध्यक्ष या कोई अन्य उच्चतर प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग द्वारा दौरे पर की जाने वाली यात्रा की बारम्बारता तथा अवधि पर ऐसा प्रतिबन्ध लगा सकता है, जो वह ठीक समझे। दौरे पर प्रतिबन्ध।

81. (1) प्रशासकीय विभाग इन नियमों के प्रयोजन के लिए उसके नियन्त्रण के अधीन किसी विशेष राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को नियन्त्रक अधिकारी के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा। हरियाणा सरकार के विशेष सचिव व उसके ऊपर की पदवी के अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष इन नियमों के प्रयोजनों के लिए स्वयं अपने नियन्त्रक अधिकारी होंगे। नियन्त्रक अधिकारी तथा उसके कर्त्तव्य।

(2) यात्रा भत्ता बिल पर हस्ताक्षर करने या प्रतिहस्ताक्षर करने से पूर्व, प्रत्येक नियन्त्रक अधिकारी का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगाः–

(क) यात्रा तथा ठहराव जिसके लिए यात्रा भत्ता दावाकृत है, की आवश्यकता, बारम्बारता तथा अवधि की संवीक्षा करना तथा किसी यात्रा या किसी ठहराव के लिए दावाकृत यात्रा भत्ते का सम्पूर्ण या कोई भाग अस्वीकार करना, यदि वह समझता है कि यात्रा अनावश्यक या अनुचित रूप से लम्बी थी, या कि ठहराव अत्यधिक अवधि का था;

(ख) यात्रा भत्ता बिलों में दर्ज दूरियों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा करना तथा उस द्वारा हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के उचित जांच रजिस्टर (नीचे प्रोफार्मा देखिए) रखते हुए स्वयं की सन्तुष्टि करना, कि एक तथा उसी यात्रा के लिए दोबारा भुगतान पारित नहीं किया गया है;

(ग) स्वयं की सन्तुष्टि करना कि रेल/स्टीमर/हवाईजहाज/बस द्वारा यात्रा के लिए किराया वास्तव में प्रयुक्त साधन की श्रेणी को लागू दर पर दावाकृत किया गया है तथा बिल में प्रभारित यात्रा (यात्राओं) के लिए रियायती वापसी टिकट भी खरीदी गई थी जो यथासम्भव थी;

(घ) सावधानी का प्रयोग करना कि यहां यात्रा भत्ते के मूल सिद्धातों का कोई अपवंचन या भंग तो नहीं हो रहा है अर्थात् यात्रा भत्ता, लाभ के स्रोत के रूप में नहीं है ।

(ङ) किसी अनुपूरक नियम या आदेश का अनुपालन करना, जो सक्षम प्राधिकारी अपने मार्गदर्शन के लिए करे;

(च) स्वयं की सन्तुष्टि करना कि सरकारी कर्मचारी ने वास्तव में दावाकृत दर पर वार–पार टिकटें खरीदी हैं तथा कि यात्रा के उस भाग पर केवल उचित समायोजन की श्रेणी के लिए भुगतान करते हुए सस्ती दर पर वार–पार सारी टिकटें प्राप्त करना उसके लिए सम्भव नहीं था; तथा

(छ) स्वयं की सन्तुष्टि करना कि, जहां निजी सामान को परिवहन करने की वास्तविक लागत, इन नियमो के अधीन दावाकृत है, तो मापक्रम, जिस पर ऐसा सामान वाहित किया गया है, युक्तियुक्त था; तथा किसी दावे को, जो उसकी राय में, उस शर्त को पूरा नहीं करता है, अस्वीकार करना। निजी सामान के परिवहन के लिए दावे के सम्बन्ध में, वह ब्यौरों की संवीक्षा भी करेगा तथा स्वयं की सन्तुष्टि करेगा कि दावा उचित है।

यात्रा भत्ता जांच रजिस्ट्रर के लिए प्रोफार्मा

(देखिए खण्ड ख)

पृष्ठ संख्या...................

कर्मचारी का नाम.. पदनाम..

क्रम संख्या	डायरी संख्या	टी.ए.बिल की प्राप्ति की तिथि	तैयार करने की तिथि	यात्रा की तिथि	यात्रा के स्थान	यात्रा का प्रयोजन	बिल की राशि	नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पण.— नियन्त्रक अधिकारी को उसकी जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए समर्थ बनाने के क्रम से, सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने यात्रा भत्ते बिल, प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करते समय, बिलों पर अपने हस्ताक्षर से घोषणा अभिलिखित करनी चाहिए। इस प्रमाण–पत्र के बावजूद भी, नियन्त्रक अधिकारी को नियन्त्रण का अन्यथा भी प्रयोग करना होगा।

यात्रा भत्ते बिलो पर नियन्त्रण।

82. यात्रा भत्ते के किसी भी बिल का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक यह प्रयोजन के लिए नियन्त्रक अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

****

अध्याय–XIII
विविध

83. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, कोई भी व्यक्ति उसकी प्रथम नियुक्ति पर अपनी सेवा ग्रहण करने के लिए उपयुक्तता के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के लिए की गई यात्रा हेतु यात्रा भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रथम नियुक्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं।

84. पेंशन भोगी या स्थापना की कटौती या उसके पद के समापन के कारण, पहले से ही पर्यवसित व्यक्ति के पुनर्नियोजन पर, नियुक्ति प्राधिकारी केवल पुनर्नियोजन तथा पुनर्नियुक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर उसकी हकदारी तक सीमित स्वयं के लिए वास्तविक यात्रा खर्च प्राप्त करने के लिए उसको अनुमति दे सकता है। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन पर वास्तविक यात्रा खर्च।

85. (1) निलम्बन के समय यात्रा– अवकाश के दौरान या निलम्बन के अधीन की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता।

इन नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को, विभागीय जांच में हाजिर होने के प्रयोजन के लिए, निलम्बन की अवधि के दौरान की गई यात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तविक यात्रा खर्च अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) अवकाश या लम्बी छुट्टी से वापस बुलाने पर यात्रा–

जब सरकारी कर्मचारी को उसके अवकाश/लम्बी छुट्टी की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से वापस बुलाया जाता है तथा अवकाश/लम्बी छुट्टी को 30 दिन से कम न किया गया हो, तो वह स्थान, जिस पर वापस बुलाने का आदेश उसके पास पहुंचता है, से या, यदि वापसी यात्रा, जिसमें हवाई जहाज या समुद्र द्वारा यात्रा, शामिल है, स्थान जिससे, उसे वापस बुलाया गया है, से बन्दरगाह, जिस पर वह भारत में उतरता है, यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि अवधि, जिस तक अवकाश/लम्बी छुट्टी घटाया गया है, 30 दिन से कम है, तो यात्रा भत्ता सरकारी कर्मचारी को वापस बुलाने वाले प्राधिकारी के विवेक पर अनुज्ञात किया जाएगा।

86. (1) सरकारी कर्मचारी जो संगठन का पदेन–सदस्य होने के कारण बैठक में उपस्थित होने के लिए या हरियाणा अथवा किसी अन्य सरकार के अधीन किसी संगठन के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण इत्यादि कार्यो के लिए लोकहित में पूर्ण रूप में या मुख्य रूप में भारत के भीतर या के बाहर यात्रा करता है तो यात्रा भत्ता इन नियमों के अधीन लागू दरों पर विनियमित होगा किन्तु दैनिक भत्ते सहित यात्रा भत्ते पर सम्पूर्ण खर्च सरकारी लेखे में खर्च को दर्ज किए बिना सम्बन्धित संगठन द्वारा सीधे रूप में भुगतान किया जाएगा। अग्रिम में कोई भी यात्रा भत्ता मूल विभाग से अनुज्ञेय नहीं होगा। हरियाणा या किसी अन्य सरकार के अधीन संगठन के सम्बन्ध में यात्रा।

(2) यदि यात्रा तथा ठहराव मुख्यतः सरकार के कार्यो के सम्बन्ध में है तथा हरियाणा या किसी अन्य सरकार के अधीन संगठन के भागतः कार्यों के लिए है, तो सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा तथा कोई भी राशि संगठन से वसूल की जानी आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पण.–जहां अधिकारी संगठन का दोहरा प्रभार रखता है तथा यदि यह प्रशासकीय कारणों से आवश्यक समझा गया है कि अधिकारी को उसके साथ उसका अपना निजी अमला रखना चाहिए, तो संगठन के किसी कार्य के सम्बन्ध में निजी अमले द्वारा की गई यात्रा के प्रयोजन के लिए उपरोक्त प्रावधान लागू होगा।

यात्रा भत्ता बिल/दावे का प्ररूप

(देखिए नियम 77)

बिल संख्या तथा तिथिः.. वाऊचर संख्याः.......................................

.... की स्थापना वाऊचर तिथिः...

1	खजाना कोडः							10	प्लान/नान–प्लान (पी/एन.पी.):	
2	डी.डी.ओ. कोडः							11	दातमत/प्रभारित (वी/एन.सी.):	
3	मुख्य शीर्षः									
4	उप मुख्य शीर्षः									
5	लघु शीर्षः									
6	उप शीर्षः/स्कीमः									
7	विस्तृत शीर्षः									
8	उद्देश्य कोडः									
9	मांग /अनुदान संख्याः									

(मुख्य शीर्ष के लिए स्थान एवं मुख्य शीर्ष मोहर)

प्रमाण–पत्र

1. इस बिल की विषय–वस्तु प्रमाणित की गई हैं।
2. प्रमाणित किया गया हे कि इस बिल में प्राप्त की जा रही राशि समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसार है।

विनियोग

वर्ष .... से .... के लिए विनियोग	रुपये ....
घटाया गया खर्च (इस बिल सहित):	रुपये ....
उपलब्ध बकायाः	रुपये ....
रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... के लिए पारित	

(नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर) .... (डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर)..

(खजाना कार्यालय में प्रयोग के लिए)

भुगतान रुपये ....(रुपये ....)

(खजाना लिपिक)...................................(ए एस टी) ....(खजाना अधिकारी) ....)

(ए.जी. कार्यालय में प्रयोग के लिए)

के लिए स्वीकृत रुपये ....

के लिए आपति रुपये ....

आक्षेय के लिए कारण ....

(लेखा अधिकारी)

यात्रा भत्ता दावा

मास/वर्ष के लिए यात्रा भत्ता दावा		पदनाम	
नामः		मुख्यालय	
मूल वेतनः		सरकारी कर्मचारी का ग्रेड (I/II/III/IV/V)	

प्रस्थान स्थान तथा स्टेशन	तिथि तथा समय	पहुंच स्थान तथा स्टेशन	तिथि तथा समय	यात्रा का प्रयोजन	आवास का साधन तथा श्रेणी व टिकट संख्या	सार्वजनिक वाहन में की गई यात्रा के लिए यात्रा की वास्तविक लागत
1	2	3	4	5	6	7

स्थानीय/सड़क दूरी भाड़ा यदि अपने वाहन या टैक्सी या आटो रिक्शा द्वारा की गई यात्रा तथा टोल प्रभार, यदि कोई हो।			रसीद संख्या सहित होटल प्रभार, यदि कोई हो,	दैनिक भत्ता			खाना 7+10+11+14 का कुल	टिप्पणी, यदि कोई हो
किलोमीटर	दर	राशि		दिनों की संख्या	दर	राशि		
8	9	10	11	12	13	14	15	16

कुल रुपये ....(रुपये ....शब्दों में)

अग्रिम राशि यदि पहले ली गई है	रुपये
खजाना वाऊचर संख्या तथा तिथि	संख्याः तिथिः

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

राशि के लिए पारित रुपये .... (रुपये ....शब्दों में)

घटा रुपये का पहले लिया गया अग्रिम ....

असली भुगतानयोग्य रुपये .... (रुपये ....शब्दों में)

(डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर)

हिदायतें

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दौरा प्रोग्राम की मूल प्राप्ति सदा दावे के साथ संलग्न करनी चाहिए।
2. 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण के मामले में आयु सहित परिवार के सदस्यों के ब्यौरे।
3. टिकट संख्या उधृत करनी चाहिए जब यात्रा किसी श्रेणी में हवाई जहाज द्वारा या रेल, बस, नदी स्टीमर द्वारा साधारण श्रेणी से भिन्न श्रेणी में की गई है।

****

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।